न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपख.ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 75/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीग.ा
मिसाराम पुत्र रावतराम के कायम मुकाम :— 1. बुधाराम पुत्र मिसाराम 2. रामचन्द्र पुत्र मिसाराम 3. बाबूलाल पुत्र मिसाराम 4. बगदूदेवी पुत्री मिसाराम 5. सीतादेवी पत्नी मिसाराम जातियान बावरी निवासीग.ा ग्राम बिंजवाड़िया, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. नाराय.राम पुत्र रावतराम 2. अमराराम पुत्र बिरदाराम जातियान बावरी निवासीग.ा बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा 3. से.ाी देवी पुत्री बिरदाराम पत्नी लूम्बाराम, जाति बावरी निवासी मुरकासनी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 4. गीतादेवी पुत्री बिरदाराम पत्नी पदमाराम, जाति बावरी निवासी सिंगला, तहसील जैतार.ा जिला पाली 5. सरव.ाराम पुत्र नाराय.राम जाति बावरी निवासी बिंजवाडिया हाल निवास घा.ाामगरा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 6. मेहराम पुत्र नाराय.राम 7. धर्माराम पुत्र नाराय.राम 8. पेमाराम पुत्र नाराय.राम 9. ओमप्रकाश पुत्र नाराय.राम 10. थापनराम पुत्र नाराय.राम 11. हनुमानराम पुत्र नाराय.राम 12. सुरेशराम पुत्र नाराय.राम जातियान बावरी, निवासीग.ा बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा 13. एस.बी.आई. बैंक शाखा बिलाड़ा जिला जोधपुर 14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री ग.ापतलाल चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से श्री नाराय.ासिंह सोढ़ा अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 14 सरकारी पैरोकार।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय   दिनांक :– 23/06/25

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 166 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 167 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 रकबा 01 बीघा कुल खसरा 4 कुल रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/6 हिस्सा वादी का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 12 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। इसी प्रकार ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/6 हिस्सा वादी का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 12 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा वादी के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 12 इसके लिए तैयार नही हुये तो वादी अपने 1/6 वॉ हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 वादी को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है।

अन्त मे वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 166 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 167 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 रकबा 01 बीघा कुल खसरा 4 कुल रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा का बाईमीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादी का 1/6 वॉ हिस्सा तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 12 का अलग किया जाकर तथा अलग–अलग लगान कायम किया जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावे इसी प्रकार ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा का बाईमीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर 1/6 हिस्सा वादी का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 2/3 हिस्सा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

प्रतिवादी संख्या 5 से 12 का अलग किया जाकर तथा अलग–अलग लगान कायम किया जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनांक 11.11.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बिंजवाडिया की सरहद में स्थित भूमि तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 166 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 167 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 रकबा 01 बीघा कुल खसरा 4 कुल रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा में से वादीगण के 1/6 हिस्से तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 12 की भूमि तथा ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा वादीगण का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 12 की भूमि का बाई मिटस ए.ड बाउ.डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्रम संख्या	खातेदारों का नाम (जमाबन्दी के अनुसार)	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)
1	1. अमराराम पुत्र बिरदाराम हिस्सा 1/12 जाति- बावरी सा- देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/12 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलाड़ा 2- ओमप्रकाश पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/24 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 3- गीता पुत्री बिरदाराम हिस्सा 1/12 जाति- बावरी सा देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/12 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलाड़ा 4- थापनराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा 1/24 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 5- धर्माराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/24 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय 6- नारायणराम पुत्र रावतराम हिस्सा 1/6 जाति-बावरी सा- देह खातेदार 7- प्रेमाराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा 1/24 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 8- बगद्देवी पुत्री मीसाराम हिस्सा 1/30 जाति बावरी सा- देह खातेदार 9- बुधाराम पुत्र मीसाराम हिस्सा- 1/30 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 10- बाबूलाल पुत्र मीसाराम हिस्सा- 1/30 जाति- बावरी सा-	166 167/1 168/1 169	0.0243 0.3300 0.0700 0.1618

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

	देह खातेदार 11- मेहराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा-1/24 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 12- मीरादेवी पत्नि बिरदाराम हिस्सा 1/12 जाति-बावरी सा देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/12 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलाड़ा 13- रामचन्द्र पुत्र मीसाराम हिस्सा- 1/30 जाति बावरी सा- देह खातेदार 14- सेणीदेवी पुत्री बिरदाराम हिस्सा- 1/12 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- राहिन हिस्सा-1/12 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलाड़ा 15- सरवणराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/24 जाति- बावरी सा- देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/24 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलाड़ा 16- सुरेशराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा 1/24 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 17- सीतादेवी पत्नि मीसाराम हिस्सा- 1/30 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 18- हनुमानराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/24 जाति- बावरी सा- देह खातेदार		
	कुल	04	0.5861

क्रम संख्या	खातेदारों का नाम (जमाबन्दी के अनुसार)	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)
2.	1- ओमप्रकाश पुत्र नारायणाराम हिस्सा-1/12 जाति-बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 2- थापनराम पुत्र नारायणराम हिस्सा- 1/12 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय 3- धर्माराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/12 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 4- नारायणाराम पुत्र रावतराम हिस्सा 1/6 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 5- पेमाराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/12 जाति-बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 6- बगदूदेवी पुत्री मीसाराम हिस्सा- 1/30 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 7- बुधाराम पुत्र मीसाराम हिस्सा- 1/30 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 8- बाबूलाल पुत्र मीसाराम हिस्सा- 1/30 जाति-बावरी सा- देह खातेदार 9- मेहराम पुत्र नारायणराम हिस्सा- 1/12 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 10- रामचन्द्र पुत्र मीसाराम हिस्सा- 1/30 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 11- सरवणराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/12 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 12- सुरेश राम पुत्र नारायण राम हिस्सा 1/12 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 13- सीतादेवी पत्नि मीसाराम हिस्सा- 1/30 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 14- हनुमानराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा 1/12 जाति- बावरी	173/1	0.0900

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

	सा- देह लेखाकार विश्वविद्यालय		
	कुल	01	0.0900
3.	1. बगदूदेवी पुत्री मीसाराम हिस्सा- 1/5 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 2. बुधाराम पुत्र मीसाराम हिस्सा- 1/5 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 3. बाबूलाल पुत्र मीसाराम हिस्सा- 1/5 जाति-बावरी सा- देह खातेदार 4. रामचन्द्र पुत्र मीसाराम हिस्सा- 1/5 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 5. सीतादेवी पत्नि मीसाराम हिस्सा- 1/5 जाति- बावरी सा- देह खातेदार	167/2 167/3 167/4 168/2 173/2	0.0700 0.0700 0.4614 0.1450 0.3032
	कुल	05	1.0496
क्रम संख्या	**खातेदारों का नाम (जमाबन्दी के अनुसार)**	**खसरा नम्बर**	**रकबा (हैक्टेयर)**
4.	1. अमराराम पुत्र बिरदाराम हिस्सा 1/10 जाति- बावरी सा- देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/10 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलाड़ा 2- ओमप्रकाश पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/20 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 3- गीता पुत्री बिरदाराम हिस्सा 1/10 जाति- बावरी सा देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/10 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलाड़ा 4- थापनराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा 1/20 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 5- धर्माराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/20 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय 6- नारायणराम पुत्र रावतराम हिस्सा 1/5 जाति-बावरी सा- देह खातेदार 7- प्रेमाराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा 1/20 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 8- मेहराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा-1/20 जाति- बावरी सा- देह खातेदार 9- मीरादेवी पत्नि बिरदाराम हिस्सा 1/10 जाति-बावरी सा देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/10 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलाड़ा 10- सेणीदेवी पुत्री बिरदाराम हिस्सा- 1/10 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय-	167/5 168/3 168/4	2.7172 0.7747 0.2400

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

	राहिन हिस्सा-1/10 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलाड़ा 11. सरवणराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/20 जाति- बावरी सा- देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलाड़ा 12- सुरेशराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा 1/20 जाति- बांवरी सा- देह खातेदार 13- हनुमानराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/20 जाति- बावरी सा- देह खातेदार		
	कुल	03	3.7319

क्रम संख्या	खातेदारों का नाम (जमाबन्दी के अनुसार)	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)
5.	1-ओमप्रकाश पुत्र नारायणाराम हिस्सा-1/10 जाति-बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 2- थापनराम पुत्र नारायणराम हिस्सा- 1/10 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय 3- धर्माराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/10 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 4- नारायणाराम पुत्र रावतराम हिस्सा 1/5 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 5- पेमाराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/10 जाति-बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 6- मेहराम पुत्र नारायणराम हिस्सा- 1/10 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 7- सरवणराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा- 1/10 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 8- सुरेश राम पुत्र नारायण राम हिस्सा 1/10 जाति- बावरी सा- अकाउंटेंट ए- विश्वविद्यालय- 9- हनुमानराम पुत्र नारायणाराम हिस्सा 1/10 जाति- बावरी सा- देह लेखाकार विश्वविद्यालय	173/3 173/4	0.3032 1.2128
	कुल	02	1.5160

नोट– **उक्त विभाजन वादी द्वारा बताए कब्जा अनुसार तैयार किया। परन्तु वादी एवं प्रतिवादीगणों द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना किया।**

उक्त सार.ी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 02.04.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 02.04.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

नि.ीय आज दिनांक 23/05/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपख.ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीग.ा	**बनाम**	**प्रतिवादीग.ा**
मिसाराम पुत्र रावतराम के कायम मुकाम :–		1. नाराय.राम पुत्र रावतराम
1. बुधाराम पुत्र मिसाराम		2. अमराराम पुत्र बिरदाराम जातियान बावरी निवासीग.ा बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा
2. रामचन्द्र पुत्र मिसाराम		3. से.ाी देवी पुत्री बिरदाराम पत्नी लूम्बाराम, जाति बावरी निवासी मुरकासनी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
3. बाबूलाल पुत्र मिसाराम		4. गीतादेवी पुत्री बिरदाराम पत्नी पदमाराम, जाति बावरी निवासी सिंगला, तहसील जैतार.ा जिला पाली
4. बगदूदेवी पुत्री मिसाराम		5. सरव.ाराम पुत्र नाराय.राम जाति बावरी निवासी बिंजवाडिया हाल निवास घा. ाामगरा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
5. सीतादेवी पत्नी मिसाराम जातियान बावरी निवासीग.ा ग्राम बिंजवाड़िया, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		6. मेहराम पुत्र नाराय.राम
		7. धर्माराम पुत्र नाराय.राम
		8. पेमाराम पुत्र नाराय.राम
		9. ओमप्रकाश पुत्र नाराय.राम
		10. थापनराम पुत्र नाराय.राम
		11. हनुमानराम पुत्र नाराय.राम
		12. सुरेशराम पुत्र नाराय.राम जातियान बावरी, निवासीग.ा बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा
		13. एस.बी.आई. बैंक शाखा बिलाड़ा जिला जोधपुर
		14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा — सत्यमेव जयते)

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 75/2018

<u>नि.िय</u> **दिनांक :–** 23/06/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से श्री नाराय.ासिंह सोढा एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 14 सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 02.04.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/6/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा